171/2017

| दिनांक | आज्ञा पत्र | |
|---|---|---|
| 9.3.22 | पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलांट शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्डड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रतिशीघ्र निस्तारण किया जा सके पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 12.5.22 को पेश हों। | |
| 12.5.22 | पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज ... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 30.6.22 को पेश हो। | |
| 30.6.22 | पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज ... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 12.9.22 को पेश हो। | |
| 12.9.22 | पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज ... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 6.10.22 को पेश हो। | |
| 6.10.22 | पत्रावली पेश। वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलांट ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. क तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।<br><br>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं<br>पदेन राजस्व अपील अधिकारी<br>सीकर(कैम्प झुन्झुनूं) | अधिकारी एवं पदेन राजस्व ... सीकर |